UPSR010014192026

न्यायालय Special Judge(SC/ST), Shravasti

पीठासीन अधिकारी– (Awanish Gautam), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) –**

UP01682

जमानत आवेदन-पत्र संख्या- 571/2026

रमन उम्र 42 वर्ष पुत्र विश्वनाथ मिश्रा निवासी ग्राम सुविखा थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती। ————प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश ————अभियोगी।

अपराध संख्या 113/2026
अन्तर्गत धारा 79, 109, 191 (2), 191 (3), 115 (2), 352, 351 (3) बी0एन0एस0 व धारा 3 (1) (द), 3 (1) (ध) 3 (2) (V) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
थाना कोतवाली गिलौला, जनपद श्रावस्ती।

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र जमानत</u>

<u>दिनांक 28–07–2026</u>

यह जमानत आवेदन प्रार्थना पत्र ई–फाइलिंग के उपरान्त इस न्यायालय को दिनांक 13–07–2026 को प्राप्त हुआ।

अभियुक्त रमन की ओर से यह नियमित जमानत प्रार्थना पत्र अपराध संख्या 113/2026 अन्तर्गत धारा 79, 109, 191 (2), 191 (3), 115 (2), 352, 351(3) बी0एन0एस0 व धारा 3 (1) (द), 3 (1) (ध) 3 (2) (V) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन मय शपथ पत्र में कथन किया गया है कि अभियुक्त का कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय पर न तो दिया गया है और न ही विचाराधीन है।

वादिनी मुकदमा उपस्थित है और उसकी तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध किया गया है।

जमानत आवेदन पर विद्वान ए0डी0जी0सी0, वादिनी मुकदमा एवं बचाव पक्ष के

विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा गीता देवी पत्नी करन पासवान साकिन सरवनतारा थाना गिौला जनपद श्रावस्ती की मूल निवासी है। दिनांक 03–07–2026 को समय दिन में करीब 3.00 बजे सुविखा शराब भटठी से दमावां की तरफ अपने भतीजे रमेश कुमार पासवान व सहदेव चौहान पुत्र तीरथराम निवासी खैराकला थाना सोनवा के साथ जा रही थी कि रास्ते में दो बाईक खड़ी कर छः आदमी खड़े थे मुझे देखकर अश्लील कमेंट किये जिसका हमारे भतीजे व रिश्ते के भाई सहदेव चौहान ने विरोध किया तो विपक्षीगण एकराय होकर मारो सालों आसी पासी को इस पर एकराय होकर विपक्षी रमन ने लाठी से सहदेव चौहान के सर पर प्राणघातक जान से मारने के उद्देश्य से हमला कर दिया। सहदेव चौहान ने अपने बचाव मे लाठी पकड़ने का प्रयास किया फिर भी लाठी सहदेव के सिर पर लगी व मौके पर गिर कर बेहोश हो गया। हम लोग बीच बचाव के दौड़े तो सभी लोगो ने मिलकर हमारे सिर पर व शरीर पर लाठी से हमला किये और चिल्लाये आसी पासी साले हम लोगो से जुबान लड़ाओगे तो जान से मार डालेंगे। चिल्लाने पर आस पास के लोग आने लगे तो दो व्यक्ति बाईक स्टार्ट कर लिये और चिल्लाये सर्वेश, आदर्श, रमन, काशी पण्डित भागो नहीं तो पकड़े जाओगे तब सभी दोनो गाड़ियों पर बैठकर जान माल की धमकी देते हुए मौके से भाग गये। इसके बाद पानी डालकर सहदेव चौहान को होश मे लाये तथा प्राथमिक उपचार कराकर परिजनो के साथ थाने आये है। हमे व हमारे भतीजे को काफी चोटे आयी हैं।

अभियुक्त द्वारा अपने जमानत आवेदन मय शपथ पत्र में कथन किया गया है कि महज वादी को परेशान करने के उददेश्य से फर्जी तथ्यों के आधार पर मनगढ़न्त घ ाटना बनाकर अभियुक्त को फंसा दिया गया है। छः लोगो द्वारा मारना कहा जाता है किन्तु चोटहिल को किसी प्रकार की कोई गम्भीर चोट नहीं आई है। मात्र अपराध की गम्भीरता दिखाने के लिए धारा 109 बी0एन0एस0 की धारा लगायी गयी है। चोटहिल को किसी प्रकार की कोई गम्भीर चोट नहीं आई है चोटें बनावटी हैं मात्र सरकार द्वारा लाभ लेने के लिए अभियुक्त को फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट मे किसी का नाम पता, पिता का नाम नहीं बताया गया है जिससे कि पूर्व मे परिचित होने की बात नहीं है जिसक कारण भी अभियुक्त पर एस0सी0/एस0टी0 का अपराध नहीं बनता है। अभियुक्त ने कोई घटना कारित नहीं किया है अभियुक्त निर्दोष है। तदनुसार जमानत की याचना की।

अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता, वादिनी मुकदमा द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन में लिये गये आधारों पर तर्क प्रस्तुत करते हुए जमानत की याचना की गयी।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त पर अश्लील कमेंट का विरोध करने पर

अभियुक्त द्वारा लाठी से मारे पीट किये जाने व जातिगत गालियां दिये जाने का आरोप है। चुटैल सहदेव, गीता देवी तथा रमेश पासवान के मेडिकोलीगल रिपोर्ट में हार्ड एण्ड ब्लंट आब्जेक्ट, फिर्म आब्जेक्ट व रफ आब्जेक्ट से चोटें कारित किया जाना बताया गया है। तीनो चुटैल मे मात्र गीता देवी का एक्सरे रिपोर्ट उपलब्ध कराया गया है जिसमें एन0ए0डी0 लिखा किसी चुटैल को गम्भीर प्रकृति की चोट नहीं दर्शायी गयी है। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं बताया गया है। अभियुक्त दिनांक 05–07–2026 से जिला कारागार में निररूद्ध है। अत : मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त रमन द्वारा 50 हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर उसे इन शर्तो के अधीन जमानत पर निर्मुक्त किया जाता है कि वह विवेचना एवं विचारण के दौरान साक्षियों को न तो डरायेगा न धमकी देगा तथा विचारण की कार्यवाही बाधित नहीं करेगा।

(अवनीश गौतम)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
श्रावस्ती।